

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2790

दिनांक 17 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विश्व कैंसर दिवस

2790. श्री प्रतापराव जाधव:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री बिच्चुत बरन महतो:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में विश्व कैंसर दिवस मनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आयोजन के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में इस खतरनाक बीमारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैंसर के कारण होने वाली अधिकांश मौतें निम्न या मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं/देशों से रिपोर्ट की जाती हैं जो चिकित्सा/उपचार सुविधाओं, पेशेवरों की कमी और उपचार के लिए महंगी दवाओं के संदर्भ में सीमित संसाधनों के कारण होती हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग) विश्व कैंसर दिवस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा 4 फरवरी, 2023 को एम्फी थियेटर, दिल्ली हाट, आईएनए में मनाया गया। इसके अलावा, कैंसर के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाना और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग

शामिल है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र योजना के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर कल्याण कार्यक्रमों और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर कैंसर के निवारक पहलू को सुदृढ़ किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के माध्यम से स्वस्थ भोजन को भी बढ़ावा दिया जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीसीडीसीएस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार कैंसर के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 के दौरान कैंसर के मामलों के कारण होने वाली मृत्यु दर की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है

सभी साइटों (2020 और 2022) के लिए भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित मृत्यु दर - दोनों लिंग			
वर्ष	2020	2021	2022
कैंसर की सभी साइटें	7,70,230	7,89,202	8,08,558

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और संसाधन सीमा के अध्यधीन तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीन सबसे आम प्रकार के कैंसर (मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर) एनपीसीडीसीएस का एक अभिन्न अंग है। यह कार्यक्रम कैंसर की रोकथाम के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए समुचित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र के लिए रेफरल पर केंद्रित है। एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत 708 जिला एनसीडी क्लिनिक, 301 जिला दिवस परिचर्या केंद्र और 5671 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।

एनएचएम के तहत और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में देश में सामान्य गैर-संचारी रोगों अर्थात् मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को तीन सामान्य कैंसर यानी मुंह, स्तन और सर्वाइकल कैंसर के लिए उनकी स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया जाता है।

इन सामान्य कैंसर की स्क्रीनिंग आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के तहत सेवा वितरण का एक अभिन्न अंग है।

केन्द्र सरकार कैंसर की विशिष्ट परिचर्या के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विशिष्ट कैंसर परिचर्या केन्द्रों की सुविधाओं का सुदृढीकरण स्कीम कार्यान्वित करती है। उक्त स्कीम के अंतर्गत 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केन्द्र (टीसीसीसी) अनुमोदित किए गए हैं। अब तक पंद्रह सुविधा केन्द्र कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत नए एम्स और कई उन्नत संस्थानों के मामले में इसके विभिन्न पहलुओं में ऑन्कोलॉजी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता का दूसरा परिसर भी इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये सभी देश में कैंसर के उपचार की क्षमता को बढ़ाते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों में विभिन्न स्तरों पर कैंसर का निदान और उपचार किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों और जरूरतमंदों के लिए या तो मुफ्त है या अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत कैंसर का इलाज भी उपलब्ध है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मसी स्टोर स्थापित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में कैंसर की दवाओं को पर्याप्त छूट पर उपलब्ध कराना है।
